भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 188B/2017–18

1. सुभाष महतो 2. लालकु महतो बनाम धरनुजय महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 40 दिनांक 17.01.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 188 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. सुभाष महतो पिता स्व0 महेन्द्र महतो 2. लालकु महतो पिता स्व0 रांगा महतो ग्राम–डोरो, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता धरनुजय महतो पिता स्व0 जिपा महतो, ग्राम–धातकीडीह, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
डोरो	130	87	812	0.16एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पितामह के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। बिक्रेताओं के पास 3.15 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.16 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.99 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रति विक्रेता के हिस्से में 1.50 एकड़ भूमि अवशेष बचता है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

06/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner